

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर "अमर उजाला, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि 09.12.2025

279 उपभोक्ताओं पर 18.97 करोड़ बकाया

वाराणसी। जिले में वाराणसी विकास प्राधिकरण की संपत्तियों में कुल 279 बकायेदार हैं। जिन पर विभाग का 18.97 करोड़ रुपये बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए सोमवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें वसूली के लिए कैप लगाने की तिथि का निर्धारण हुआ। वाराणसी विकास प्राधिकरण के ओर से महीने में दो बार विभिन्न जगहों पर कैप लगाए जाएंगे। आगामी 15 दिसंबर को विभाग के ओर से कैप में बकायेदारों से वसूली की जाएगी। इसमें सभी बैंक संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। ब्यूरो

न्यायाधीश—दि 09.12.2025

वाविप्रा द्वारा बकायेदार वसूली कैप का आयोजन 15 को

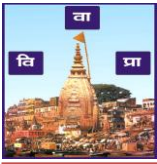


वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बौरा की अध्यक्षता में बकायेदारों से वसूली हेतु विशेष कैप आयोजन संबंधी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बकायेदारों को राहत प्रदान करने एवं वसूली की प्रक्रिया को गतिशील बनाने हेतु महत्वपूर्ण निणय लिए गए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की संपत्तियों से कुल

279 बकायेदार हैं, जिन पर लगभग ₹18.97 करोड़ की बकाया धनराशि लंबित है। बकाया वसूली में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किए गए— बकायेदारों से वसूली हेतु माह में दो बार विशेष कैप आयोजित किए जाएंगे। आगामी कैप 15 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें

सभी बैंक संस्थानों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि बकायेदार कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर अपना बकाया चुका सकें। वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु रेंट कलेक्टर को लगाया जाये, जिससे लंबित बकाया की शीघ्र वसूली हो सके। सप्ताह में एक बार सभी बकायेदारों को नोटिस प्रेषित किए जाएंगे, जिससे उन्हें समय पर जानकारी एवं भुगतान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकें। वाराणसी विकास प्राधिकरण सभी बकायेदारों से अपील करता है कि निर्धारित कैप में उपस्थित होकर कैप का लाभ उठाएं तथा अपने बकाया का शीघ्र निस्तारण कर प्राधिकरण के विकास कार्यों में सहयोग करें।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 09.12.2025

मानचित्र निस्तारण की प्रगति पर सचिव वाविप्रा द्वारा समीक्षा बैठक



वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में पाँचों जोन के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता एवं वार्ड लिपिक के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले माह (नवम्बर) में आयोजित कैम्प के दौरान मानचित्र निस्तारण की अपेक्षित प्रगति न होने पर सचिव महोदय द्वारा कठोर नाराजगी व्यक्त की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि— आगामी कैम्प में अधिक से अधिक मानचित्रों का निस्तारण कराया जाए। मानचित्र स्वीकृति के उपरांत आगणित शमन शुल्क को शीघ्र अति शीघ्र प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार उपस्थित रहे। सचिव ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा नागरिक सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, अतः विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण मनोभाव से हासिल किया जाए।

परफेक्ट मिशन—दि० 09.12.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने बकाया वसूली के सम्बन्ध में बैठक कर दिया निर्देश



वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा की अध्यक्षता में सोमवार को बकायदारों से वसूली हेतु विशेष कैंप आयोजन संबंधी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बकायदारों को राहत प्रदान करने एवं वसूली की प्रक्रिया को गतिशील बनाने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की संपत्तियों से कुल 279 बकायदार हैं, जिन पर लगभग ₹18.97 करोड़ की बकाया धनराशि लंबित है। बकाया वसूली में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने हेतु उपाध्यक्ष ने विभिन्न निर्देश दिए जिसमें बकायदारों से वसूली हेतु माह में दो बार विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।

आगामी कैंप 15 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी बैंक संस्थानों की भी सहभागिता

15 दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बकायादार वसूली कैंप का होगा आयोजन

सुनिश्चित की जाएगी ताकि बकायदार कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर अपना बकाया चुका सकें। वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु रेंट कलेक्टर को लगाया जाये, जिससे लंबित बकाया की शीघ्र वसूली हो सके। सप्ताह में एक बार सभी बकायदारों को नोटिस प्रेषित किए जाएंगे, जिससे उन्हें समय पर जानकारी एवं भुगतान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सभी बकायदारों से अपील किया है कि निर्धारित कैंप में उपस्थित होकर कैम्प का लाभ उठाएँ तथा अपने बकाया का शीघ्र निस्तारण कर प्राधिकरण के विकास कार्यों में सहयोग करें।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in